

फर्ड अहकाम  
( नियम 26 )

2024-206

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

चरखुज

बनाम

बीर

किस्म मुकद्दमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट

प्रकरण नं.

161/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीत में जारी हुए
11-6-24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ..... बडीसादडी-..... की आराजी नम्बर 1619 कबजा 0.4200 है।</p> <p>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नही की जावे। यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नही किया जाए। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये ..... 500/-..... वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावे।</p> <p>पत्रावली में इसी आशय का हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी (राज.)

